



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-1005/CG/1/2023-ESDW

दिनांक: 13.04.2023

सुश्री इप्पकत आरा,
कलेक्टर,
जिला सूरजपुर,
कार्यालय कलेक्टर,
सूरजपुर, छत्तीसगढ़-497229
ई-मेल: collector-srj.cg@gov.in

डॉ. प्रेम सागर मिश्रा,
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सूरजपुर, छत्तीसगढ़ - 497229
ई मेल: cmd.secl.cil@coalindia.in

विषय: आदिवासी जीवित माधो का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी पति बनकर अनुकंपा नौकरी करने एवं पूर्व में थाना बिश्रामपुर में की गई शिकायत पर पावती नहीं देने व कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में श्री मनीराम, निवासी-ग्राम- करमपुर, थाना-बिश्रामपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का दिनांक 17.12.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मनीराम से दिनांक 17.12.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री मनीराम,
निवासी-ग्राम- करमपुर,
थाना-बिश्रामपुर,
तहसील व जिला-सूरजपुर,
छत्तीसगढ़

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।